R-5391-II/16.

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला (म.प्र.) Rs.30/-

सुधीर कुमार बाण्डा तनय स्व. श्री अमरदेव बाण्डा उम्र 53 वर्ष पेशा–नौकरी निवासी बांसघाट रीवा, मकान नं. 6/179, थाना सिविल लाईन तहसील हुजूर जिला (म.प्र.)

..........निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– रामदेव बाण्डा तनय स्व. आशाराम बाण्डा उम्र 78 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम नीगा पडरा तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

2– श्रीमती सुदेश बाण्डा पत्नी रामदेव बाण्डा उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम नीगा पडरा तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

..........गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र. के राजस्व अपील प्रकरण क.–94/अ27/15–16 पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25.07.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1–यह कि भूमि ख.क.–93 रकवा 5.49ए., 104 करवा 1.24ए, 122 रकवा 1.72ए, 145 रकवा 0.16ए., 146 रकवा 2.93ए., 148 रकवा 0.60ए कुल किता 06 कुल रकवा 12.14ए. स्थित ग्राम नीगा जनरल नं. 319 प.ह. 26 राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21.03.1975 को सूरजदीन तनय रामविशाल ताम्रकार से श्रीमती द्रोपदी बेवा आशाराम, श्रीमती सुदेश पत्नी रामदेव एवं सुधीर बाण्डा द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.5391-दो/2016 **जिला-रीवा**

सुधीर कु0 बाण्डा/रामदेवक बाण्डा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.02.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0 डी0 कुशवाहा उपस्थित। 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक- 94/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-04-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर रीवा के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 15/2/19

सदस्य